संख्या: 48/2020/698 ई-2/तेरह-2020-22/2017

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक जून, 2020

विषय:-होटल गगन प्लाजा,(यूनिट ऑफ गगन दीप होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रा.लि., 63/6 द माल, मरे कम्पनी ब्रिज) कानपुर नगर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को संबोधित अपने पत्र संख्या-5935 /जिला बार समिति/कानपुर नगर/2019-20, दिनांक 19.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2020 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी.-264/दस-लाइसेंस-26/एफ.एल.-6-7/होटल गगन प्लाजा/बार अनु./कानपुर नगर, दिनांक 05.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत होटल गगन प्लाजा,(यूनिट ऑफ गगन दीप होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट प्रा.लि., 63/6 द माल, मरे कम्पनी ब्रिज) कानपुर नगर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठानों में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई के अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशम्न विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाईयों द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे, प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2020/698(1)ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-264/दस-लाइसेंस-26/एफ.एल.-6-7/होटल गगन प्लाजा/बार अनु./कानपुर नगर, दिनांक 05.03.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।